तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बद्री बनाम सरकार	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा
25/11/24	पत्रावली पेश हुई। अहलमद प्रार्थी उपर तहसीलदार उच्चैन को जवाब हेतु लिखा जावे पत्रावली दिनांक 10/12/24 को पेश हो। Rahul	
10/12/24	पत्रावली पेश हुई। अहलमद प्रार्थी उपर तहसीलदार उच्चैन से जवाब प्राप्त जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17/12/24 को पेश हो। Rahul	
17/12/24	पत्रावली पेश हुई। अहलमद वादी उपर वाद पत्र से बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 24/12/24 को पेश हो। Rahul	
24/12/24	पत्रावली पेश हुई। अहलमद वादी उपर वाद पत्र वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Rahul **उपखण्ड अधिकारी** **उच्चैन (भरतपुर)**	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री राहुल श्रीवास्तब (आई.ए.एस)

वाद कमांकः—100/2024(30/2017 पुराना)

1. बद्री प्रसाद (मृतक)

1/1 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र बद्री प्रसाद

1/2 शंकुन्तला पुत्री बद्री प्रसाद

1/3 गीता पुत्री बद्री प्रसाद

2. इन्दर मल(मृतक)

2/1 बिशम्भर दयाल पुत्र इन्दरमल

2/2 दमोदर पुत्र इन्दरमल(मृतक)

2/2(1) सुमन देवी पत्नि दामोदर लाल

2/2(2) प्रदीप पुत्र दामोदर

2/2(3) प्रीति पुत्री दामोदर

2/3 मुकेश तिवारी पुत्र इन्दरमल

2/4 भगवती देवी पुत्री इन्दरमल

3. सम्पतराम(मृतक)

3/1 शीला देवी पत्नि सम्पतराम

3/2 सुशील कुमार पुत्र सम्पतराम

3/3 गोपालराम पुत्र सम्पतराम

3/4 गोबिन्दराम पुत्र सम्पराम

3/5 मुन्नालाल पुत्र सम्पतराम

3/6 राकेश कुमार पुत्र सम्पतराम

3/7 सुषमा देवी पुत्री सम्पतराम

3/8 शशिकला पुत्री सम्पतराम समस्त जातियान बागरी ब्राह्मण निवासी भैंसा तहसील रूपवास जिला भरतपुर .....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर।

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार रूपवास/उच्चैन, भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत् डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88—89,188 आर.टी.ए.

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट
2. राजस्थान सरकार पैरोकार तहसीलदार उच्चैन।

Rahul Srivastava

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

निर्णय

दिनांकः—24.12.2024

वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 9/1.18, 19/1.00,20/9.13,24/9.00,25/2.02,26/1.06,27/0.18,101/1.18 बीघा कुल रकवा 27 बीघा 15 विस्वा बाकै ग्राम भैंसा तहसील उच्चैन में स्थित है उक्त आराजी के काबिज एवं खातेदार वादीगण के पिता मदन लाल थे जिनका लगभग 15 साल पहले निधन हो गया वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी को वादीगण ने अपने पिता मदनलाल के समय से ही जोतते बोते चले आ रहे है और अब भी मौके पर वादीगण ही काश्त कर रहे है उक्त रकवे को वादीगण के पिता के समय में चारागाह घोषित किया गया था जिनकी जमीन चारागाह घोषित हो गई थी माननीय अतिरिक्त जिलाधीश महोदय भरतपुर के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे जिनको माननीय अतिरिक्त जिलाधीश महोदय ने दिनांक 14.08.69 को निर्णित किया गया था उक्त आदेश में माननीय अतिरिक्त जिलाधीश महोदय भरतपुर द्वारा यह माना गया था कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 19,20.24 जिसकी किस्म सैराबी है इसलिए यह आराजी चारागाह योग्य नहीं है तथा आराजी खसरा नम्बर 9,25,26,27,101 खुद काश्त रिकार्ड है इसलिए विवादित नम्बरान चारागाह के योग्य नहीं है अतः इन नम्बरान को उपरोक्त आदेश के मुताबिक तारीखी 14.08.69 माननीय अतिरिक्त जिलाधीश महोदय भरतपुर द्वारा चारागाह मुक्त किया गया है उक्त आदेश तारीखी 14.08.69 की पालना में वादीगण के पिता भजनलाल पुत्र गंगाधर जाति बागरी ब्राह्मण निवासी भैंसा के नाम इन्द्राज दाखिल खारिज सं0 500 से दिनांक 23.12.71 को ग्राम पंचायत भैंसा तहसील रूपवास द्वारा सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया तथा तदनुसार ही राजस्व अभिलेख में दर्ज रिकार्ड किया गया और उक्त विवादित आराजी को बिना किसी परेशानी के आज तक काश्त करते चले आ रहे है लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा नाजायज तौर पर गैरकानूनी ढंग से इस रकवे से वादीगण के पिता स्व0 मदनलाल का नाम कलमजन उनकी अदम जानकारी में कर दिया गया जिस बाबत् उनके द्वारा दिनांक 10.02.99 को एक नोटिस अन्तर्गत धारा 91 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट दिया गया जिस बाबत् मिसल न0 57/99 अन्तर्गत धारा 91 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट दर्ज रजिस्टर हुई जिसका निर्णय वाद दिखाने रिकार्ड वा किये जाने जॉच नायब तहसीलदार उच्चैन द्वारा दिनांक 5.8.99 को इस आशय का किया है कि विवादित आराजीयत अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय भरतपुर के आदेशानुसार नामांन्तकरण संख्या 500 दर्ज हुआ है जिससे यह स्पष्ट है कि दाखिल खारिज संख्या 500 मदनलाल पुत्र गंगाधर की खातेदारी स्वीकृति हुई है जो कि वे वादीगण के पिता थे तत्कालीन पटवारी वादीगण जो एक बहुत भोले भाले किसान है को यह दिलासा देता रहा कि वह वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया गया है और खातेदार घोषित कर दिया गया है परन्तु अब मौजूदा हल्का पटवारी द्वारा वादीगण को दिनांक 15.06.2001 को यह धमकी दी कि उनकी फसल को कुर्क कर लेगा व विवादित आराजी से जबरन वेदखल कर देगा यदि प्रतिवादी अपनी धमकी में कामयाब हो गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी प्रतिवादीगण प्रतिनिधित्व राजस्थान सरकार है जिनके विरूद्ध वादपत्र पेश करने से पूर्व नोटिस

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

हाजा हस्ब दफा 80 जा0 दीवानी दिया जाना आवश्यक है जो नियमानुसार दिनांक 9.08.2001 को दे दिया गया है। वाद का कारण दिनांक 15.06.2001 को दिये जाने धमकी से पैदा हुआ है अतः दावा वादीगण अवधि दावा पेश है कोर्ट फीस तलवाना नीयमानुसार चस्पा है अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि वाद पत्र कि चरण संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी का वादीगण बहिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे और कागजात पटवार में अमल दरामद किया जावे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधज्ञा से पावन्द किया जावे। प्रतिवादीगण के द्वारा उपस्थित होकर पुनः जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र की मद संख्या 1 अस्वीकार है दावा में अंकित खसरा नम्बर राज्य सरकार के खाता संख्या 1 में सिवायचक दर्ज हैं एवं सरकार का ही कब्जा है। दावा में वर्णित आराजी खसरा नम्बर राज्य सरकार की काविज व खातेदारी में है। वाद पत्र की मद संख्या 3 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 4 अस्वीकार है संबंधित न्यायालय के निर्णय एवं अमल दरामद की कैफियत संलग्न नहीं है माननीय न्यायालय मात्र ऑर्डरशीट उपर्युक्त आदेश एवं कैफियत के अभाव में निर्णय के रूप में मान्य नहीं है। यह है कि वाद पत्र की मद संख्या 5 स्वीकार नहीं है क्योंकि उपर्युक्तानुसार विन्दु संख्या 4 के अनुसार माननीय अतिरिक्त जिलाधीश महोदय भतपुर की दिनांक 14/08/1969 मात्र ऑर्डरशीट है। जिसके आधार पर पटवारी ग्राम भैंसा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 500 दिनांक 23/12/1971 को खसरा नम्बर 9, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 101 किता 08 रकवा 27बीघा15 बिस्वा मकबूजा सरकार से मदनलाल पुत्र गंगाधर कौम ब्राह्मण बागरी सा. देह दर्ज किया गया है। नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में केवल हुक्मन लिखा है, निर्णय एवं कैफियत का कोई अंकन नहीं है। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में आज्ञा जिलाधीश भरतपुर दिनांक 18/08/1996 की मात्र ऑर्डरशीट के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण दर्ज किया है तथा उसे बद्रीप्रसाद सरपंच ग्राम पंचायत भैंसा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकृत किया गया है। जो निरस्तनीय है। वाद पत्र की मद संख्या 6 अस्वीकार है क्योंकि ग्राम भैंसा की जमाबंदी संवत् 2007 एवं 2015 में दावा में अंकित खसरा नम्बरान में वादीगण के पिता स्व. श्री मदन पुत्र गंगाधर निस्फ कौम ब्राह्मण बागरी सा. देह अंकित है। जिसमें खातेदार अथवा गैर खातेदार अंकित नहीं है इसीलए उपरोक्त संवत् में वादीगण के पिता को खातेदार नहीं माना जा सकता है। यह की वाद पत्र की मद संख्या 7 स्वीकार नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत भैंसा का नामान्तकरण संख्या 500 हुक्मन का अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपने परिवारीजन मदनलाल के नाम स्वीकृत किया गया है जबकि हुक्मन का नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा किया जाना चाहिए था जमाबंदी सम्बत् 2028–31 के खाता संख्या 430 पर नामान्तकरण संख्या 500 से मदनलाल पुत्र गंगाधर जाति ब्राह्मण बागरी सा. देह गैर खातेदार अंकित है। परन्तु उपरोक्त खाते पर कॉस का निशान लगा हुआ है तथा विशेष विवरण के कॉलम संख्या 14 में खसरा नम्बर9, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 101 किता 08 रकवा 27बीघा15 का सिवायचक में जाने का नोट अंकित है,की गई कार्यवाही उचित है। वाद पत्र की मद संख्या 8,9,10,11 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद संख्या 12,13 कानूनी है एवं काबिले गौर अदालत है। वाद वादीगण किसी प्रकार डिक्री फरमाये जाने के काबिल नहीं है

Rahul Gupta
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

काबिल खारिजी है। वर्तमान में उपरोक्त खसरा नम्बर जिनके बंदोबस्त विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर बना दिए गए हैं, वो सिवायचक दर्ज है। जिसमे से 2.03 हैक्टेयर भूमी खेल मैदार ग्राम पंचायत भैंसा को आवंटित हो चुकी है। वाद पत्र को खारिज किये जाने का निवदेन किया है। उक्त वाद पत्र में दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई एवं उक्त वाद पत्र को तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी रूपवास के द्वारा दिनांक 29.03.2007 को खारिज किया जा चुका है जिसकी अपील वादीगण द्वारा श्रीमान भू– प्रवन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भरतपुर के यहां की गई। श्रीमान भू– प्रवन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भरतपुर के द्वारा दिनांक 30.06.2014 को अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्त न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.03.2007 को खारिज किया एवं प्रकरण में वादी को समुचित राजस्व रिकार्ड पेश करने का युक्तियुक्त अवसर देते हुए समस्त राजस्व रिकार्ड व मौखिक साक्ष्यों की विवेचना करते हुये पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने का निर्देश के साथ प्रकरण को इस न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया गया।

प्रकरण दर्ज रजि0 किया गया। वादीगण की ओर से दिनांक 10.05.2022 को फार्म नम्बर 3 के साथ दस्तावेज पेश किये जो शामिल पत्रावली है एवं दिनांक 6.09.2022 को वादीगण के अभिभाषक द्वारा पेश दस्तावेजों पर प्रदर्श डाले गये साथ ही वादीगण के ओर से प्रार्थी श्री मुन्नालाल पुत्र सम्पत राम ने एक शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 5 पेश किया जो शामिल पत्रावली है। साक्ष्य प्रतिवादी हेतू कई अवसर दिये जाने के बाबजूद साक्ष्य पेश नहीं किये जाने के कारण दिनांक 4.7.2023 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतू नियत की गई।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं अवगत कराया कि उक्त विवादित आराजी सम्बत् 2012 के पूर्व से ही हम वादीगण के बाबा के नाम दर्ज रिकार्ड रही है एवं उक्त आराजी पर पहले हमारे बाबा उसके बाद पिता एवं वर्तमान में हम वादीगण आज दिनांक तक काबिज आराजी होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है लेकिन सम्बत् 2018 में उक्त आराजी को बिना किसी अधिकार एवं आदेश के राजस्व रिकार्ड जमाबंन्दी में चारागाह खिलाफ कानून के दर्ज कर दिया गया था जिसको माननीय न्यायलय जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा दिनांक 14.08.1969 को चारागाह से मुक्त कर हम वादीगण के बाबा मदन के नाम खातेदारी दर्ज करने के आदेश पारित किये थे उक्त आदेश की पालना में नामन्तरण संख्या 500 के द्वारा दिनांक 23.11.1971 को हमारे बाबा मदन की खातेदारी दर्ज की गई थी लेकिन बाद में उक्त आराजी को बिना किसी आदेश के एवं खिलाफ कानून के सिवायचक दर्ज कर दिया था। वादपत्र वादी स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिनकी विचेचना निम्नानुसार है:–

1. EXP1 माननीय जिला कलक्टर महोदय भरतपुर के निर्णय दिनांक 14.08.1969 का अवलोकन किया गया जिसमें माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा उक्त विवादित

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

आराजी को चारागाह से मुक्त किया गया है परन्तु उपयुक्त ऑर्डरशीट के साथ संबंधित न्यायालय डिक्री एवं डिक्री के अमल दरामद की कैफियत संलग्न नहीं है।

2. EXP3 ग्राम पंचायत प्रस्ताव पंजिका एवं EXP4 नामान्तरण पंजिका ग्राम भैंसा का अवलोकन किया गया जिसमें मदन लाल पुत्र गंगाधर के नाम खातेदारी दर्ज की गई है नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में केवल हुक्मन लिखा है, निर्णय एवं कैफियत का कोई अंकन नहीं है।
3. ग्राम पंचायत भैंसा का नामान्तकरण संख्या 500 हुक्मन का अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर सरपंच ग्राम पंचायत भैंसा द्वारा अपने परिवारीजन मदनलाल के नाम स्वीकृत किया गया है जबकि हुक्मन का नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा किया जाना चाहिए था।
4. EXP11 जमावंन्दी सम्बत् 2007 EXP10 जमाबन्दी सम्बत् 2009 EXP22 जमावन्दी सम्वत् 2015 में मदन पुत्र गंगाधर निस्फ कौम ब्राह्मण बागरी सा. देह अंकित है जिसमें खातेदार अथवा गैरखातेदार अंकित नहीं है।
5. EXP17 जमाबन्दी सम्बत् 2028 से 2031 में मदनलाल पुत्र गंगाधर जाति बागरी ब्राह्मण सा. देह गैर खातेदार अंकित है परन्तु उपरोक्त खाते पर कॉस(X) का निशान लगा हुआ हैं इसी जमाबन्दी के कालम संख्या 14 विशेष विवरण में सिवायचक का नोट अंकित है।

उक्त दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात यह स्पस्ट होता है कि उक्त विवादित आराजी के वादीगण के पूर्वज कभी भी खातेदार अथवा गैरखातेदार नहीं रहे है एवं उक्त विवादित आराजी को श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा चारागाह से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी उपयुक्त डिक्री एवं अमल दरामद की कैफियत वादीगण के द्वारा पेश नहीं की गई है एवं ग्राम पंचायत भैंसा के द्वारा उक्त विवादित आराजीयत में मदन लाल पुत्र गंगाधर जाति ब्राह्मण बागरी को खातेदार अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दर्ज किया किया गया था क्योंकि हुक्मन का नामान्तकरण तहसीलदार द्वारा किया जाना चाहिए था। वादीगण का बादपत्र खारिज किया उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है:–

वादपत्र वादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 24.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul Srivastava

राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर